UPSI010082682025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–2, सीतापुर।

उपस्थित– श्री महेन्द्र सिंह–IV
(उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O.Code-UP 6113

कि0अपील सं0–100/2025
सी0आई0एस0नं0–100/2025

मनीष शुक्ला आयु 43 वर्ष पुत्र अवधेश कुमार शुक्ला निवासी मकान नं0–48, मुंशीगंज निकट पानी की टंकी शहर सीतापुर थाना कोतवाली नगर सीतापुर जिला सीतापुर।

————————————————अपीलकर्ता।

बनाम्

1–सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, सीतापुर।
2–संजय मिश्रा आयु 55 वर्ष पुत्र विश्वनाथ मिश्रा, प्रोप्राइटर मिश्रा फर्टीलाइजर्स निवासी 721ए, चर्च रोड सिविल लाइन्स शहर सीतापुर थाना कोतवाली नगर जिला सीतापुर।

———————————— उत्तरदातागण।

सी0आई0एस0 नं0–2802618/2014
अं0धारा–138 एन0आई0एक्ट।
थाना–कोतवाली।
जिला–सीतापुर।

निर्णय

प्रस्तुत आपराधिक अपील, अपीलकर्ता मनीष शुक्ला की ओर से विद्वान अपर सिविल जज(सी0डि0) कोर्ट सं0–2/ए0सी0जे0एम0, सीतापुर द्वारा सी0आई0एस0सं0–2802618/2014 अं0धारा 138 एन0आई0एक्ट संजय मिश्रा बनाम मनीष शुक्ला थाना कोतवाली जिला सीतापुर के मामले में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 30.10.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके अनुसार विद्वान अवर न्यायालय ने अभियुक्त मनीष शुक्ला को अपराध अं0धारा 138 एन0आई0एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास तथा ग्यारह लाख बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को छः माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से अपील में यह आधार लिये गये हैं कि अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। परिवादी द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि परिवादी 5,60,000/—रूपया का देनदार हो, परन्तु न्यायालय द्वारा इस तथ्य को अनदेखा करके मनगढ़ंत आधारों पर निर्णय दिया है जो विधि विरूद्ध है। वादी द्वारा अपने 246 बी0एन0एस0एस0 के बयानों में कहा गया है कि मुझको 5,60,000/—रूपये की चेक मिली थी जो डिस्ऑनर हुई थी, पर मैंने उसका कोई मुकदमा नहीं किया। केवल 2 चेकें 2,80,000/—2,80,000/—रूपये की ये चेकें भी बाउंस हुई थी। इन्हीं का मैंने मुकदमा किया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि परिवादी के पास अपीलकर्ता की कई सारे चेकें मौजूद हैं, जिससे पूरा घटनाक्रम संदेहास्पद प्रतीत होता है, परन्तु माननीय न्यायाधीश द्वारा इस पर कोई ध्यान न देकर अपने निर्णय में भारी त्रुटि कारित की है। परिवादी द्वारा 246 बी0एन0एस0एस0 के बयानों में स्वीकार किया गया है कि चेकों पर एकाउण्ट व नाम मनीष द्वारा भरा गया है तथा शेष प्रविष्टियां मेरे द्वारा भरी गयी हैं जबकि माननीय उच्च न्यायालय मुम्बई द्वारा अपने निर्णय 2011 मैसर्स पिनाक भारत बनाम अनिल राम राव अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि चेक में देने वाले की सहमति के बगैर अलिट्रेशन चेक को शून्य बना देता है। धारा—87 एन0आई0एक्ट का उल्लंघन करता है। जबकि अपीलकर्ता द्वारा बहस के दौरान लिखित बहस में उपरोक्त तथ्य माननीय अवर न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था, परन्तु न्यायाधीश महोदय द्वारा उक्त तथ्य पर ध्यान न देकर अपने निर्णय में भारी त्रुटि कारित की गयी है जो कि न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। माननीय न्यायाधीश अवर न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया है कि परिवादी द्वारा चेक में भरी धनराशि के बकाये का कोई भी प्रपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि यह तथ्य अपीलकर्ता द्वारा बहस के दौरान लिखित बहस में प्रमुखता से उठाया गया है और अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय विक्रय भाई पटेल बनाम हितेष महेन्द्र भाई पटेल सन् 2003 में कहा गया है कि चेक में भरी धनराशि की बकायेदारी सिद्ध करना परिवादी का दायित्व है, परन्तु इस तथ्य को भी माननीय अवर न्यायालय द्वारा अनदेखा करके भारी त्रुटि की है। परिवादी द्वारा धारा—202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कोई भी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है, परन्तु न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और परिवादी को अनुचित

तरीके से लाभ प्रदान किया गया है। अतः न्यायहित में अपील स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2025 को निरस्त करने की याचना की गयी है।

अपीलार्थी की ओर से 4क1 नकल फोटो स्टेट आदेश दिनांकित 30–10–2025, 5क1 नकल फोटो स्टेट परिवाद पत्र, नकल फोटो स्टेट बयान अं0धारा 244 सी0आर0पी0सी0, दाखिल की गयी हैं।

अपीलार्थी की ओर से विधि व्यवस्था–

1-[2021(115)ACC 322] M/s. Kalamani Tex and another vs. P. Balasubramanian

प्रस्तुत की गयी है।

अवर न्यायालय में परिवादी संजय मिश्रा द्वारा परिवाद पत्र में कथन किया गया है कि परिवादी की सीमेन्ट एवं सरिया की दुकान नेपालापुर में लखीमपुर रोड पर मिश्रा, फर्टीलाइजर्स के नाम से स्थित है। जिसमें थोक एवं फुटकर दोनों के कार्य होते हैं। परिवादी की दुकान से विपक्षी व उसके पिता अवधेश कुमार शुक्ला तथा शशीदेवी ने काफी बड़ी मात्रा में सीमेन्ट व सरिया दिनांक 16–1–2013 से भिन्न–भिन्न तारीखों पर लिया था। उक्त विपक्षी की भी दुकान काजी कमालपुर चौराहे पर शशी ट्रेडर्स के नाम से स्थित है। जिसकी प्रोपराइटर विपक्षी की मां, शशीदेवी है। विपक्षी व उसके माता पिता ने परिवादी से ली गयी सीमेन्ट व सरिया का कुछ भुगतान कर दिया एवं मु0 7,60,000/–रू0 बाद में देने को कहा। परन्तु परिवादी के बार–बार मांगने पर भी विपक्षी व उसके परिवार वाले हीला–हवाली करते रहे। परिवादी व सम्भ्रान्त लोगों के दबाव में विपक्षी ने परिवादी को 5,60,000/–रू0 की चेक दी। परिवादी ने भुगतान के लिए उक्त चेक बैंक में लगाई परन्तु उक्त चेक विपक्षी के खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण बगैर भुगतान के वापस हो गयी। परिवादी ने उक्त बात विपक्षी को बताई तो विपक्षी ने दो–तीन महीने का समय मांगा। परिवादी द्वारा बार–बार पैसा मांगने पर विपक्षी व उसके पिता अवधेश छल कपट से भुगतान के लिए समय मांगते रहे और दुकान से सीमेन्ट व सरिया ले जाते रहे तथा उक्त चेक का एन0ई0एक्ट के तहत नोटिस व मुकदमा का समय निकल गया। परिवादी के बार–बार पैसा मांगने पर विपक्षी के पिता अवधेश कुमार शुक्ला ने 2,00,000/–रू0 की चेक परिवादी को दी। उक्त चेक को परिवादी ने भुगतान हेतु बैंक में लगाया। परन्तु उक्त चेक भी

खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण वापस हो गयी। जिसका मुकदमा परिवादी ने विपक्षी के पिता के खिलाफ न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष दायर किया है। परिवादी द्वारा बार–बार दबाव बनाने पर विपक्षी मनीष शुक्ला ने भारतीय स्टेट बैंक की मु0 2,80,000/–रू0 की दो चेके दिनांक 13–09–2014 व 15–09–2014 को परिवादी को दी। उक्त चेकों को परिवादी ने बैंक में भुगतान हेतु लगाया, परन्तु दिनांक 19–9–2014 को बैंक द्वारा परिवादी को ज्ञात हुआ कि विपक्षी के खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण भुगतान नहीं हो सकता है। परिवादी ने अपने अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27–09–14 को विपक्षी को रजिस्टर्ड नोटिस इस बाबत दी, कि विपक्षी 15 दिन के अन्दर उक्त पैसे का भुगतान करे अन्यथा, परिवादी विपक्षी के विरूद्ध न्यायालय में वाद दाखिल करेगा। उक्त रजि0 नोटिस विपक्षी को दिनांक 29–9–2014 को प्राप्त हुई। परंतु विपक्षी ने आज तक परिवादी को भुगतान नहीं किया है जिस कारण मजबूरन परिवादी न्यायालय की शरण में आया है। विपक्षी की नीयत परिवादी को पैसा देने की नहीं है तथा उक्त चेक विपक्षी ने परिवादी को नैपालापुर स्थित दुकान पर दिया था जो कि महोदय के क्षेत्राधिकार में आता है। विपक्षी का उक्त कृत्य धारा 138 नि0इ0 एक्ट व अं0धारा 406,420 भा0दं0सं0 के अधीन दण्डनीय है। अतः बाद लेने सबूत विपक्षी को तलब कर दण्डित करने की याचना की गयी है।

उक्त परिवाद पत्र के आधार पर मामला परिवाद में दर्ज किया गया तथा परिवादी के धारा 200 दं0प्र0सं0 के बयान अंकित किये गये। पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में परिवादी ने स्वयं का अं0धारा 244 दं0प्र0सं0 का तथा धारा 246 दं0प्र0सं0 का बयान अंकित कराया गया।

अवर न्यायालय में परिवादी ने सूची से एक किता असल चेक नं0–201597 दिनांक 13–09–2014 एवं 15–09–2014, एक किता नोटिस, एक किता बैंक का मेमो व एक रजिस्ट्री की रसीद एवं ए0डी0 प्रस्तुत की गयी हैं।

अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं परिवादी के बयान तथा पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अभियुक्त मनीष शुक्ला को अं0धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया है तथा अभियुक्त को एक वर्ष के साधारण कारावास व 11,20,000/–रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त आदेश/निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

परिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में पी0डब्ल्यू0–1 स्वयं का बयान अं0धारा 244 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अंकित कराया है जिसमें उसने कथन किया है कि मेरी सीमेन्ट व सरिया की थोक व फुटकर की दुकान मिश्रा फर्टीलाइजर्स के नाम से नैपालापुर चौराहे पर स्थित है। मनीष शुक्ला व उसके पिता अवधेश मेरी दुकान से काफी बड़ी मात्रा में सीमेन्ट व सरिया का सामान लेकर बेंचते थे। मनीष शुक्ला विपक्षी की दुकान काजी कमालपुर चौराहे पर शशी ट्रेडर्स के नाम से है। माल लेने पर कुछ पेमेंट कर शेष उधार करते थे। इस प्रकार विपक्षी पर लगभग सात लाख साठ हजार रूपये उधार था। बार–बार मेरे द्वारा मांगने पर विपक्षी टालमटोल व हीला हवाली करते थे। जब मैंने संभ्रान्त लोगों को बीच में डाला तो मनीष ने पांच लाख साठ हजार की चेक दी, भुगतान के समय वह चेक बाउंस हो गयी। मैंने बार–बार पैसा मांगा वह लोग टालते रहे। छल कपट से मुकदमे की अवधि निकालने का प्रयास किया। मेरे द्वारा बार–बार पैसे मांगने पर मनीष के पिता अवधेश ने दो लाख रूपये की चेक दी, वह भी भुगतान के समय बाउंस हो गयी। उसका मुकदमा मैंने अवधेश के नाम अलग कर रखा है। कई बार दबाव डालने पर मनीष ने दो लाख अस्सी हजार की दो चेक भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 13–9–14 व 15–9–14 को दी थी। जिनका चेक नं0 क्रमशः 201597 व 201599 है। दोनों चेके भा0स्टेट बैंक की थी। उक्त मूल चेक शामिल पत्रावली है। उक्त दोनों चेकों को भुगतान हेतु बैंक में लगाया परन्तु 19–9–14 को ज्ञात हुआ कि मनीष के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण भुगतान नहीं हो सका तब मैंने वकील के माध्यम से 27–9–14 को एक रजिस्टर्ड नोटिस मनीष को भेजी जिसकी फोटो प्रति शामिल पत्रावली है। बैंक का मेमो दिनांकित 19–9–14 शामिल पत्रावली है। विपक्षी को भेजी गयी नोटिस की रजिस्टर्ड रसीद दिनांक 27–9–14 शामिल पत्रावली है। मनीष शुक्ला को उक्त नोटिस 29–9–14 को प्राप्त हुयी थी। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद चेक में वर्णित धनराशि व शेष धनराशि वापस नहीं की है। जिस कारण मैंने महोदय के समक्ष उक्त मुकदमा दायर किया है।

परिवादी ने अपने धारा 246 दं0प्र0सं0 के बयान में कथन किया है कि मेरी सरिया सीमेन्ट की दुकान मिश्रा फर्टीलाइजर्स के नाम से नैपालापुर थाना कोतवाली जिला सीतापुर में है। सन् 2000 से मेरी दुकान चल रही है। मनीष की दुकान काजी कमालपुर में शशी ट्रेडर्स के नाम से थी, मेरी समक्ष से 2011 से मैंने सरिया सीमेन्ट शशी ट्रेडर्स को देना शुरू किया, बात पुरानी है। सरिया सीमेन्ट मैंने मनीष शुक्ला को दिया था। उनकी माता शशी व पिता अवधेश

शुक्ला को कोई सामान नहीं दिया था। मैं लेजर देखकर बता सकता हूं कि कुल कितना सामान मैंने दिया तथा कितना पेमेंट मुझे मिला। मनीष शुक्ला से कुल तीन चेक मैंने प्राप्त की थी। धारा–3 में **पांच लाख साठ हजार रूपये वाली चेक सबसे पहले प्राप्त की थी जो डिशऑनर हो गयी थी। उसका मैंने कोई मुकदमा नहीं किया था।** धारा–5 में दो चेकों का वर्णन है जो मैंने प्राप्त की थी, जो मु0 2,80,000/– की तथा 2,80,000/– की थी। ये दोनों चेकें भी बाउंस हो गयी थी। गवाह ने फाइल पर शामिल दोनों चेकों को देखकर कहा कि यह वही दोनों चेक हैं जिनके लिए मैंने दावा किया है। इन दोनों चेकों में नाम व एमाउण्ट मनीष का भरा है तथा तारीखें मैंने लिखी हैं। तारीखें मनीष के कहने पर डाली थी। यह कहना गलत है कि इस व्यवसाय में ब्लैंक चेक ले ली हों तथा बाद में पैसा बांकी होने पर तारीखें भर ली हों। इन चेकों के अलावा मैंने अवधेश शुक्ला से दो लाख रूपये की चेक प्राप्त की थी। उसके बाबत भी मुकदमा श्रीमान जी के न्यायालय में विचाराधीन है। इन चेकों का एमाउण्ट तथा अवधेश शुक्ला वाली चेक की धनराशि को मिलाकर कुल सात लाख साठ हजार रूपये बनता है। मेरे अनुसार दोनों से यही पैसा बकाया है। पहले अवधेश शुक्ला से मैंने चेक प्राप्त की थी बाद में मनीष शुक्ला से चेक प्राप्त की थी। यह कहना गलत है कि दोनों पक्षों के बीच समझौते में यह बात तय हुयी हो कि कुल दो लाख रूपये के लेन देन पर विवाद खत्म किया जाता है। इसी बात को मानकर अवधेश शुक्ला ने दो लाख रूपये की चेक मुझे दी हो।

परिवादी द्वारा परिवाद धारा 138 एन0आई0एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि–जब एक व्यक्ति किसी बैंकर के पास अपना खाता रखता है और उसे बनाये रखता है, उक्त खाते से भुगतान हेतु किसी राशि का कोई चेक किसी व्यक्ति को किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के आंशिक या पूर्ण भुगतान स्वरूप प्रदान करता है और उक्त चेक बैंक द्वारा बिना भुगतान किये इस कारण वापस कर दिया जाता है कि उक्त खाते में धन की अपर्याप्तता है या खाता धारक एवं बैंक के मध्य करार द्वारा निश्चित की गयी धन भुगतान सीमा से चेक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि अधिक है, तो ऐसा व्यक्ति अपराध करने का दोष माना जायेगा और वह अधिनियम के किसी प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगा और वह ऐसे कारावास से दण्डित होगा जिसकी अवधि दो वर्ष हो सकती है या चेक की धनराशि के दो गुने अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा या अर्थदण्ड और कारावास दोनों से दण्डित किया जायेगा।

उक्त धारा 138 एन0आई0एक्ट तभी मामले में लागू होती है जब किसी व्यक्ति ने किसी भी ऋण या दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए भुगतान करने के उद्देश्य से चेक दिया हो और बैंक द्वारा अवैतनिक लौटा दिया हो।

अवर न्यायालय ने अपने निर्णय/निष्कर्ष में अभियुक्त द्वारा दी गयी दो चेकों 201597 धनराशि मु0 2,80,000/रू0 व द्वितीय चेक सं0–201599 धनराशि मु0 2,80,000/–रू0 देने का कथन किया है और उक्त चेकें अनाद्रित होने का कथन किया है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में विपक्षी को सीमेन्ट व सरिया का भुगतान कर देने तथा मु0 7,60,000/–रू0 बाद में देने एवं परिवादी संभ्रान्त लोगों के दबाव में विपक्षी ने परिवादी को मु0 5,60,000/–रू0 की चेक देने का कथन किया गया है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में यह भी कथन किया गया है कि उसने भुगतान के लिए उक्त मु0 5,60,000/–रू0 की चेक बैंक में लगायी परन्तु उक्त चेक विपक्षी के खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण वापस प्राप्त हो गयी। इस संबंध में अवर न्यायालय ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है और न ही परिवादी ने उपरोक्त धनराशि की कोई चेक अवर न्यायालय में दाखिल की है। जैसे कि उसने 2,80,000/–रू0 की दो चेकें दाखिल की हैं। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि बार–बार पैसा मांगने पर विपक्षी के पिता अवधेश कुमार शुक्ला ने 2,00,000/–रूपये की चेक परिवादी को दी, उक्त चेक भी पर्याप्त धन न होने के कारण वापस हो गयी। जिसका मुकदमा परिवादी के पिता के खिलाफ दायर किया है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि उक्त कथन की सत्यता हेतु परिवादी ने कोई भी प्रपत्र अथवा मुकदमा की प्रति दाखिल नहीं की है। वास्तव में परिवादी का कितना पैसा बकाया था और उसने अभियुक्त से कितने पैसों की कुल कितनी चेक प्राप्त की थी, स्पष्ट नहीं है। परिवादी ने अपने बयान अं0धारा 246 दं0प्र0सं0 में स्वयं स्वीकार किया है कि उसने धारा–3 में पांच लाख साठ हजार रूपये वाली चेक सबसे पहले प्राप्त की थी, जो डिसऑनर हो गयी थी उसका उसने कोई मुकदमा नहीं किया था। धारा–5 में दो चेकों का वर्णन है, जो मैंने प्राप्त की थी जो 2,80,000/–रू0 की दो चेकें थी उसका मुकदमा किया था तथा अमाउण्ट मनीष द्वारा भरा गया था तथा तारीख परिवादी द्वारा डाली गयी थी। परिवादी द्वारा जो पांच लाख साठ हजार रूपये वाली चेक देने का कथन किया गया है वह परिवादी के न तो बयानों से साबित है और न ही परिवादी ने उक्त

के संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल किया है। यहां पर यह भी विचारणीय है कि उक्त धनराशि की चेक बाउंस होने पर उक्त के संबंध में परिवादी ने मुकदमा क्यों नहीं किया यह संदेहास्पद है। जबकि दो अन्य चेकों के संबंध में मुकदमा किया गया है। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में जिस कुल अमाउण्ट 7,60,000/–रू0 को बाद में अभियुक्त द्वारा दिये जाने का कथन किया गया है वह भी स्पष्ट नहीं है और न ही उसके संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। यह सही है कि अभियुक्त द्वारा मिश्रा फर्टीलाइजर्स के नाम से दो चेकें काटी गयी हैं जो दिनांक 13–09–2014 व दिनांक 15–09–2014 की मु0 2,80,000–2,80,000/–रू0 की हैं और यह भी सही है कि उक्त दोनों चेकें बाउंस हो गयी जिसकी पुष्टि बैंक मेमो से होती है। परन्तु परिवादी का कितना पैसा अभियुक्त/अपीलार्थी पर बकाया था, इसका न तो कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया है और न ही ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे परिवादी के कथनों को समर्थन मिलता हो। अवर न्यायालय द्वारा जो धनराशि अधिरोपित की गयी है उसका भी कोई स्पष्ट उल्लेख अवर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय/आदेश में नहीं किया गया है। चूंकि सभी तथ्य अवर न्यायालय ने स्पष्ट नहीं किये हैं और कारण सहित आदेश पारित नहीं किया है। परिवादी द्वारा धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत कोई ऐसा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता कि वास्तव में परिवादी का कितना पैसा अभियुक्त पर बकाया है। कोई लिखा पढ़ी का कागज नहीं है और न ही धन का कोई लेजर दाखिल किया गया है। इसके अलावा किन परिस्थितियों में अभियुक्त के पिता पर एन0आई0एक्ट के तहत दो लाख रूपये के संबंध में वाद दायर किया गया और मु0 5,60,000/–रू0 का दावा क्यों अभियुक्त पर नहीं किया गया, जब तक परिवादी यह स्पष्ट नहीं करता कि उसका कितना पैसा बकाया है, पूरी कार्यवाही निरर्थक हो जाती है। पूरे दावे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जिससे स्पष्ट हो कि अभियुक्त पर कितनी धनराशि दिये जाने का दायित्व था। इससे स्पष्ट है कि कुछ न कुछ सही तथ्य परिवादी छिपाने का प्रयास कर रहा है। धारा 87 एन0आई0एक्ट का उल्लंघन किया गया है और चेक अपने मन से भरी गयी है। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया है तथा विक्रय भाई पटेल बनाम हितेष महेन्द्र भाई पटेल का भी अनुपालन नहीं किया गया है तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत सम्पूर्ण साक्ष्य नहीं रखा गया है और परिवादी ने अभियुक्त की चेक को स्वयं भरा है और उसमें मनमानेपूर्ण ढंग से रकम दर्शित की है। यद्यपि कि

अवर न्यायालय द्वारा विस्तार रूप से निष्कर्ष दिये गये हैं, लेकिन अभियुक्त के दायित्व के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में पूरा केस संदेहपूर्ण है। इसलिए दोषसिद्धी आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को में बल है। परिवादी के पास न तो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य है और न ही ऐसा कोई मौखिक साक्ष्य है जिससे उसके बकाया कुल धन का आंकलन किया जा सके। ऐसी स्थिति में निर्णय में समस्त तथ्यों का उल्लेख नहीं है और निर्णय में सभी तथ्यों का विश्लेषण नहीं किया गया है। अधिरोपित धनराशि किस आधार पर अधिरोपित की गयी है इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 30–10–2025 त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अवर न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्पूर्ण पत्रावली का भलीभांति परिशीलन करके, दोनों पक्षों को पुनः सुनकर गुणदोष के आधार पर निर्णय पारित करे। अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 30–10–2025 त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। पत्रवली अवर न्यायालय को पुनः इस आशय से प्रेषित की जाती है कि उपरोक्त दाण्डिक अपील में पुनः विचार करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

अवर न्यायालय का अभिलेख इस आदेश की प्रति के साथ प्रेषित किया जाय। पक्षकार अवर न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 24–06–2026 को उपस्थित हों। पक्षकार सूचित हों।

(महेन्द्र सिंह–IV)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–2, सीतापुर।
JO CODE UP 6113

दिनांक–02.06.2026

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

(महेन्द्र सिंह–IV)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–2, सीतापुर।
JO CODE UP 6113

दिनांक–02.06.2026

कृष्ण/–

Digitally signed by Mahendra Singh
Date: 2026.06.02 15:11:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court sitapur